न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर नावां (डीडवाना–कुचामन)

पीठासीन अधिकारी : श्री विश्वामित्र मीना, आर.ए.एस.

वादीगण:–

1. श्रवणसिंह पुत्र किशनसिंह
2. दलपतसिंह पुत्र किशनसिंह
   जाति राजपूत निवासीयान ग्राम रेवासा दलेलपुरा तहसील नावां।

बनाम

प्रतिवादीगण:–

1. भगवानाराम पुत्र केशाराम
2. रामदेवाराम पुत्र केशाराम
3. हीराराम पुत्र केशाराम
4. छोटीदेवी पुत्री केशाराम
5. मुन्नीदेवी पुत्री केशाराम
   जाति मेघवाल निवासीयान ग्राम रेवासा दलेलपुरा तहसील नावां।
6. भूमिधारी जरिये तहसीलदार नावां तहसील नावां।

दावा वास्ते भू–विभाजन एवं स्थाई निषेधाज्ञा
अन्तर्गत धारा 53,188 आर.टी.एक्ट

उपस्थित :– श्री सुरेन्द्र सेवर अधिवक्ता वादीगण

मुकदमा नम्बरः 73 / 2013 निर्णय दिनांकः– 13.10.2023

निर्णय

वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार से है कि राजस्व ग्राम रेवासा दलेलपुरा पटवार हल्का मुवाना तहसील नावां की सरहद में कृषि भूमि नवीन खसरा नम्बर 168 रकबा 1.98 हैक्टर भूमि स्थित रही है। उक्त भूमि में वादी श्रवणसिंह 1/4 हिस्सा भूमि का व वादी दलपतसिंह 1/4 हिस्सा भूमि का काबिज कृषक खातेदार चला आ रहा है। उक्त भूमि पर वादीगण निरंतर एवं निर्विवाद रूप से काश्त कर अपना व अपने परिवार का भरण पोषण करते चले आ रहे है। वादीगण के खातेदारी अधिकारों में दर्ज उक्त 1/4, 1/4 कुल 1/2 हिस्सा की 0.99 हैक्टर भूमि वादीगण की आजीविका का एकमात्र साधन है। वादीगण की उक्त भूमि मौके पर अलग सीव माठ की शक्ल में स्थित चली आ रही है जिसके चारों तरफ वादीगण कच्ची पक्की सीव कायम कर तारबंदी कर रखी है। वादीगण ने अपने खातेदारी अधिकारों में दर्ज भूमि को लाखों रूपये लगाकर समतल इत्यादि करवाकर काफी उपयोगी व उपजाउ बनाया है। वादीगण एवं प्रतिवादीगण ने अपनी भूमियों का आपसी सुविधानुसार मौके पर भूमि का विभाजन काफी वर्षों पूर्व कर लिया था। वादीगण ने प्रतिवादीगण को अपने कब्जा काश्त एवं खातेदारी अधिकारों में अभिलिखित भूमि के विधिवत भू–विभाजन हेतु कहा तो पहले तो आश्वासन देते रहे तथा अब आना कानी करने लगे है। जिससे वादीगण को अपने कब्जा काश्त एवं खातेदारी अधिकारो में अभिलिखित भूमि के उपयोग व उपभोग में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है तथा प्रतिवादीगण आये दिन वादीगण की सीव नीव के साथ छेडछाड करते रहते हैं जिसके वादीगण को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इसलिए प्रतिवादीगा को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा पाबंद किया जाना आवश्यक है कि वह स्वयं या अपने एजेन्टों के मार्फत वादीगण के कब्जा काश्त एवं

Signature Not Verified
Digitally signed by Vishwamitra Meena
Date: 2024.02.02 16:06:08 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नावां (डीडवाना–कुचामन)

खातेदारी अधिकारों की भूमि में दखल नहीं करे। राजस्व ग्राम रेवासा दलेलपुरा पटवार हल्का मुवाना तहसील नावां की सरहद में कृषि भूमि नवीन खसरा नम्बर 168 रकबा 1.98 हैक्टर भूमि में वादी श्रवणसिंह की 1/4 हिस्सा भूमि व वादी दलपतसिंह की 1/4 हिस्सा भूमि कुल 1/2 हिस्सा की 0.99 हैक्टर भूमि के बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड्स भू–विभाजन की डिक्री बहक वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण फरमाकर वादीगण की पृथक जोत कायम करने हेतु तहसीलदार नावां को तहरीर जारी करने एवं वादीगण की भूमि में प्रतिवादीगण स्वयं यां अपने एजेन्टों के मार्फत दखलंदाजी नहीं करे इस आशय की स्थाई निषेधाज्ञा की डिक्री बहक वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण फरमाने की इस्तदुआ की।

वादीगण का वाद दर्ज किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 के सम्मन अखबार दैनिक नवज्योति दिनांक 20 जुलाई 2023 में प्रकाशित करवाने के बावजूद भी अनुपस्थित रहने पर एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। प्रतिवादी संख्या 6 का तामील शुदा सम्मन प्राप्त। वादी ने अपने वाद पत्र के समर्थन में प्रदर्श पी1 जमाबंदी संवत 2075 से 2078 की प्रमाणित प्रति व प्रदर्श पी2 नक्शा ट्रेश की प्रति पेश की। साक्ष्य वादी में पी.डब्ल्यू.1 वादी श्रवणसिंह, पी.डब्ल्यू.2 दलपतसिंह, पी.डब्ल्यू.3 गवाह गोपीराम पुत्र कानाराम जाति जाट निवासी भूणी तहसील नावां के मुख्य परीक्षण के शपथ पत्र अन्तर्गत आदेश 18 नियम 4 सीपीसी पेश किये। ओर साक्ष्य पेश नहीं करना चाहने पर साक्ष्य वादी बंद की गई। पत्रावली को बहस हेतु नियत की गई। अधिवक्ता वादीगण की बहस सुनी गई। अधिवक्ता वादीगण तहसीलदार नावां से बंटवारा प्रस्ताव मंगवाने हेतु सहमत होने पर प्राथमिक डिक्री जारी कर तहसीलदार नावां से बंटवारा प्रस्ताव मंगवाया गया। तहसीलदार नावां ने बंटवारा प्रस्ताव पेश किया।

अधिवक्ता वादीगण की अंतिम बहस सुनी गई। पत्रावली एवं पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। बहस पर मनन किया गया। बंटवारा प्रस्ताव का अवलोकन किया गया।

उपरोक्त विवेचनानुसार राजस्व ग्राम रेवासा दलेलपुरा पटवार हल्का मुवाना तहसील नावां की सरहद में कृषि भूमि नवीन खसरा नम्बर 168 रकबा 1.98 हैक्टर भूमि में मुताबिक बंटवारा प्रस्ताव वादीगण की भूमि का भू–विभाजन किया जाना उचित प्रतीत होता है।

आदेश

अतः वादीगण का वाद पत्र स्वीकार किया जाकर इस प्रकार डिक्री किया जाता हैं कि राजस्व ग्राम रेवासा दलेलपुरा पटवार हल्का मुवाना तहसील नावां की सरहद में कृषि भूमि नवीन खसरा नम्बर 168 रकबा 1.98 हैक्टर भूमि में मुताबिक बंटवारा प्रस्ताव में अंकित भूमि का वादीगण श्रवणसिंह, दलपतसिंह को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर भू–विभाजन किया जाता हैं। तद्नुसार राजस्व रिकॉर्ड व नक्शा ट्रेस में अंकन करने हेतु तहसीलदार नावां को आदेश दिये जाते हैं। बंटवारा प्रस्ताव निर्णय का अभिन्न अंग रहेगा। नियमानुसार स्टाम्प ड्यूटी पेश करने पर डिक्री पर्चा जारी हो।

यह निर्णय आज दिनांक 1[illegible].10.2023 को [illegible] सरे इजलास सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Vishwamitra Meena
Date: 2024.02.02 15:06:08 IST
Reason: SelfAttested

(विश्वामित्र मीना)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर,
नावां (डीडवाना–कुचामन)

उपखण्ड अधिकारी
नावां (डीडवाना-कुचामन)

अदालतः— उपखण्ड अधिकारी नावां, जिला डीडवाना—कुचामन, राज.
अज अदालत :— श्री विश्वामित्र मीना, आर.ए.एस.

वादीगणः—

1. श्रवणसिंह पुत्र किशनसिंह
2. दलपतसिंह पुत्र किशनसिंह
   जाति राजपूत निवासीयान ग्राम रेवासा दलेलपुरा तहसील नावां।

बनाम

प्रतिवादीगणः—

1. भगवानाराम पुत्र केशाराम
2. रामदेवाराम पुत्र केशाराम
3. हीराराम पुत्र केशाराम
4. छोटीदेवी पुत्री केशाराम
5. मुन्नीदेवी पुत्री केशाराम
   जाति मेघवाल निवासीयान ग्राम रेवासा दलेलपुरा तहसील नावां।
6. भूमिधारी जरिये तहसीलदार नावां तहसील नावां।

मुकदमां नम्बर :— 73 / 2023 निर्णय दिनांक :— 13.10.2023

इनफिसाल कतई रूबरू.....बहाजरी श्री सुरेन्द्र सेवर अधिवक्ता वादीगण को डिक्री दी जाती हैं कि :—

वादीगण का वाद पत्र स्वीकार किया जाकर इस प्रकार डिक्री किया जाता हैं कि राजस्व ग्राम रेवासा दलेलपुरा पटवार हल्का मुवाना तहसील नावां की सरहद में कृषि भूमि नवीन खसरा नम्बर 168 रकबा 1.98 हैक्टर भूमि में मुताबिक बंटवारा प्रस्ताव में अंकित भूमि का वादीगण श्रवणसिंह, दलपतसिंह को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर भू—विभाजन किया जाता हैं। तद्नुसार राजस्व रिकॉर्ड व नक्शा ट्रेस में अंकन करने हेतु तहसीलदार नावां को आदेश दिये जाते हैं। बंटवारा प्रस्ताव निर्णय का अभिन्न अंग रहेगा। तहरीर जारी हो।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 13.10.2023 को जारी की गई।

मुहर

दस्तखतः
ओहदा : उपखण्ड अधिकारी, नावां
नावां (डीडवाना-कुचामन)

मुद्दई	रूपये	पैसे	मुदायलह	रूपये	पैसे
स्टाम्प अर्जीदावा स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प वजह सबूत महन्ताना वकील खर्चा गाहान फीस कमिश्नर बावत इजराय हुक्मनामा मुतफरीक	NIL	NIL	स्टाम्प अर्जीदावा स्टाम्प वकालतनामा महन्ताना वकील खर्चा गाहान फीस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफरीक	NIL	NIL
मीलान	NIL	NIL	मीलान	NIL	NIL

Signature Not Verified

Digitally signed by Vishwamitra Meena
Date: 2024.02.02 15:06:08 IST
Reason: SelfAttested